युवा मंडल- स्वरूप गठन एवं दायित्व

युवा प्रकोष्ठ, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शान्तिकुंज-हरिद्वार

युवा मंडल स्वरूप गठन एवं दायित्व

प्रज्ञा / महिला / युवा मण्डल - स्वरूप और संगठन भूमिका:-

- यह समय बहुत महत्वपूर्ण है।
- मनुष्य मात्र को संभावित विनाश से बचाकर उज्ज्वल भविष्य की ओर गति देने के लिए दैवी योजना ऋषितंत्र के माध्यम से लागू की जा रही है।
- मनुष्यों को दुर्भाव, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों के शिकंजे से मुक्त करके उन्हें सद्भाव, सद्बुद्धि एवं सत्कर्म से सम्पन्न बनाना है ।

- इसके लिए युगऋषि ने देव संस्कृति के दुर्लभ सूत्रों को सर्वसुलभ बनाकर उन्हें जन-जन तक पहुँचाने की कार्य योजना बनायी है।
- यह कार्य जाग्रत् आत्माओं, सद्वृत्ति सम्पन्नों के संगठन द्वारा सम्पन्न किया जाना है।
- हमारा संगठन परिवार भाव से गठित है इसे गायत्री परिवार या युग निर्माण परिवार के नाम से जाना जाता है।

- प्रज्ञा मण्डल, महिला मण्डल युवा मण्डल इसी देव परिवार की मूलभूत इकाइयाँ हैं।

- मण्डल के नैष्ठिक सदस्यों द्वारा किसी निर्धारित क्षेत्र, मोहल्ले, ग्राम में घर-घर देव संस्कृति के सूत्रों को पहुँचाने, स्थापित करने का उत्तरदायित्व संभालना होता है।

युवा मंडल स्वरूप गठन एवं दायित्व

- संगठित परिजन ही अगले स्तर की जिम्मेदारियाँ संभाल सकेंगे।

- इन परिजनों को लेकर एक शानदार आदर्श संगठन खड़ा है।
- परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में सम्पन्न १९५८ के सहस्त्र कुण्डीय महायज्ञ से संगठन की शुरूआत की थी।
- पूज्यवर के आह्वान पर हजारों शाखाओं का पंजीयन गायत्री तपोभूमि मथुरा से हुआ था।
- तत्पश्चात् १९८९ में पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा मण्डलों के गठन पंजीयन की घोषणा की जो लाखों की संख्या में शांतिकुंज से पंजीकृत हैं और आज भी देश भर में कार्यरत हैं।

युवा मण्डल का स्वरूप

- इस विषय में शान्तिकुञ्ज के व्यवस्था तन्त्र ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक चिन्तन-मनन करने के पश्चात् युवाओं को संगठित कर उन्हें नियोजित करने की विशिष्ट योजना बनाई है।
- वर्तमान समय में गायत्री परिवार में जोन, उपजोन, जिला, तहसील, प्रखण्ड समितियाँ तथा शक्तिपीठ/प्रज्ञापीठ, शाखा, प्रज्ञा/महिला मण्डल के रूप में संगठन बने हुए हैं।
- इनमें युवाओं को अधिकाधिक जोड़ना है। युवाओं में महिलाएँ भी शामिल हैं।

- इस मिशन के संगठन की आधारभूत इकाई को मण्डल कहते हैं।
- संगठन की प्रारम्भिक एवं आधारभूत इकाई बनेगी, जो अन्य मण्डलों के साथ मिलकर नवचेतना विस्तार केन्द्र अर्थात् सक्रिय संगठित समूह (स-3) से जुड़ जायेंगे तथा इसकी समन्वय समिति में सदस्यता प्राप्त करेंगे।
- युवा मण्डलों के सदस्यों में जो समयदानी निकलेंगे, वे समर्थ समयदानी सहयोगी समूह (स-4) के सदस्य बन जायेंगे।

- ये पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग टोलियों में रहेंगे, जिनके माध्यम से आवश्यकतानुसार उनकी योग्यता, क्षमता का विचार क्रान्ति को व्यापक बनाने में समुचित लाभ उठाया जा सके।
- क्षेत्र के कई नव चेतना विस्तार केन्द्र (स-3) मिलकर जब विकास खण्ड संयुक्त समन्वय समिति गठित हों तो उसमें युवा प्रतिनिधि भी रहेंगे।
- इसी तरह जिला संयुक्त समन्वय समिति में भी युवाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य रहेगा।
- उपजोन/जोन स्तर पर युवा संगठन को गति देने हेतु युवा प्रकोष्ठ स्थापित किये जाते हैं , जो क्षेत्र में युवाओं को संगठित करने, प्रशिक्षण देने तथा नियोजन करने का कार्य करेंगे।

1. प्रज्ञा मण्डल, 2. महिला मण्डल, 3. युवा मण्डल, 4. संस्कृति मण्डल

- **नव चेतना विस्तार केन्द्र** (सक्रिय संगठित समूह, स-3)
- **विकासखण्ड संयुक्त समन्वय समिति** (युवा प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों)
- **जिला संयुक्त समन्वय समिति** (युवा प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों)

- उपजोनल केन्द्र (विभिन्न व्यवस्था समितियाँ, जिनमें युवा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों)
- जोनल केन्द्र (विभिन्न व्यवस्था समितियाँ, जिनमें युवा प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों)
- केन्द्रीय जोनल संगठन तंत्र (युवा प्रकोष्ठ, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार)

- गाँव-गाँव, मोहल्ले-मोहल्ले में युवा मण्डलों का गठन करना है ।
- इनमें आरम्भ में एक संयोजक/संचालक व न्यूनतम चार सहयोगी होंगे।
- आगे ये पाँचों अपने प्रयास से पाँच-पाँच और नये सदस्य बनायेंगे ।
- 30 की संख्या हो जाने पर पूरी इकाई मानी जायेगी।

- युवा की उम्र 18 से 45 वर्ष मानी गयी है।
- युवा मण्डल की प्रगति का विवरण नव चेतना विस्तार केन्द्र, शान्तिकुञ्ज तथा उप जोन/जोन केन्द्र को भी भेजना है।
- पंजीयन शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार से होगा, जोनल कार्यालय में भी इसका रिकार्ड रखा जायेगा। पंजीयन नम्बर का प्रयोग पत्र-व्यवहार में करें।
- युवा मण्डल को मार्गदर्शन देने हेतु पुराने कार्यकर्ता भाई-बहिन को युवा 'प्रोढ मित्र' के रूप में नामित किया जाना चाहिए

युवा मण्डल के सदस्यों से अपेक्षा

- नशा, दुर्व्यसन एवं अश्लीलता से दूर रहें।
- प्रत्येक सदस्य को नियमित गायत्री उपासना तथा स्वाध्याय करना चाहिए।
- अपना चिन्तन और व्यवहार मिशन की गरिमा के अनुरूप बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए।
- मिशन की गतिविधियों में सहयोग करें, वरिष्ठों का मार्गदर्शन लें तथा सृजन परिश्रम के सूत्रों को अपनाएँ।

- ✓युवा राष्ट्र का रक्त है। वह अगर शुद्ध रूप से धमनियों में प्रवाहित होता रहेगा तो राष्ट्ररूपी शरीर को ऊर्जा एवं प्रगति प्रदान करेगा।
- ✓ आज का युवा अगर चिन्तनशील एवं प्रगतिशील बनना चाहता है तो उसे वर्तमान समय की विकृतियों से अपने आप को बचाना होगा।
- ✓इसके लिए उसे परम पूज्य गुरुदेव पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए।
- ✓गायत्री परिवार के अधिकांश परिजन जीवन में आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उसमें पूज्य गुरुदेव के साहित्य की मुख्य भूमिका है।
- ✓अगर आप भी अपने जीवन में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर सफलता पाना चाहते हैं तो संकल्प पूर्वक आगे आईए .

संगठन के अन्य लाभ :-

1. समूह में रहने पर आपका मनोबल ऊँचा बना रहेगा। झिझक नहीं रहेगी।

2 परस्पर एक दूसरे से मिलते-जुलते रहने से सृजनात्मक विषयों पर चर्चा हो पायेगी। इस प्रकार ऊर्जा का स्तर ऊँचा बना रहेगा।।

3 . अन्य लोग आपके संगठित स्वरूप से प्रेरणा लेंगे। युवाओं के प्रति लोगों के सकारात्मक विचार बनेंगे। क्षेत्र के, गाँव के बुजुर्ग आपका सम्मान करेंगे।

4 . आप अपने गाँव/मोहल्ले में आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे

मण्डल गठन/पुनर्गठन/संचालन हेतु ध्यानाकर्षण बिन्दु:-

मण्डल गठन में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं-

- परिवार से एक ही सदस्य को मण्डल का सदस्य बनायें।
- प्रज्ञा मण्डल, युवा प्रज्ञा मण्डल, महिला प्रज्ञा मण्डल जैसे अलग-अलग मण्डलों में एक परिवार के एक-एक सदस्य हो सकते हैं

- किन्तु एक से अधिक नहीं/साथ ही एक ही परिवार का मण्डल नहीं बनायें।
- मण्डलों में सदस्य संख्या ३० पूरी करें।
- ३० सदस्यों के बिना मण्डल अपूर्ण है।
- प्रारम्भ में मण्डल रजिस्ट्रेशन हेतु ५ सक्रिय सदस्यों के नाम मण्डल फार्म में पहले लिए जाते हैं परन्तु यह प्रक्रिया मण्डल प्रारंभ करने हेतु है।

- नये युवा साधकों से व्यक्तिगत पत्रक भरवाकर जिस मण्डल में जोड़ा जाना है उसका एम. आर. नम्बर उस फार्म में ऊपर लिखकर शांतिकुंज भेजें। ताकि मण्डल सदस्य संख्या पूर्ण हो सके।
- मण्डलों की सप्ताहिक गोष्ठी अनिवार्य है।
- मण्डल की साप्ताहिक गोष्ठी में सामूहिक साधना, स्वाध्याय (सत्संकल्प एवं अपने अंग अवयवों से) का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात कोई कार्य योजना, प्रगति पर चर्चा की जावे।
- एक रजिस्टर में मण्डल का पंजीयन नम्बर तथा सभी सदस्यों के पूर्ण पते, आई.डी. मोबा. नंम्बर अंकित होने चाहिए।

- मण्डल का आय-व्यय का भी एक अलग रजिस्टर रखा जाये।
- प्रत्येक मण्डल में मण्डल गठन का स्वरूप एवं सृजन सैनिकों के संगठन की रीति-नीति पुस्तक अवश्य रखना चाहिए तथा उसे समय-समय पर अध्ययन भी करते रहना चाहिए।
- व्यक्तिगत पत्रक भरते समय जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि यह संभव न हो तो आयु अवश्य लिखी जाये।
- पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखा जाये। मण्डलों के गठन में नाम के साथ उनके पति या पिता का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिये।

- मण्डल गठन/पुनर्गठन हेतु व्यक्तिगत पत्रक एवं मण्डल पत्रक यदि बहुत सारे हों तो पहले सूची बनाकर सूची के क्रमानुसार सजाकर नत्थी कर लेवें।
- सूची की फोटो कॉपी अपने पास रखें तब सारे प्रपत्र का बंडल शांतिकुंज को पंजीयन हेतु भेजें।
- माह-दो माह के अन्तराल में क्षेत्र के किन्हीं वरिष्ठ परिजनों को साप्ताहिक गोष्ठी में बुलाकर उनका मार्गदर्शन लें, उन्हें सम्मानित करें।
- मण्डल प्रगति प्रतिवेदन फार्म भरकर प्रति माह शांतिकुंज के साथ-साथ विकास खण्ड स्तरीय संगठन समिति को भी अवश्य प्रेषित करें।

- प्रत्येक मण्डल से सदस्यों को कर्मकाण्ड एवं संगीत का प्रशिक्षण कराया जाये। यह व्यवस्था जिले स्तर या उप जोन स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में बनाई जा सकती है।
- प्रत्येक युवा मंडल में एक प्रौढ़ मित्र *(वरिष्ठ कार्यकर्ता)* को जोड़कर रखें ताकि युवाओं के जोश का नियोजन होश पूर्वक होता रहे।

मण्डलों का गठन:-

प्रत्येक मण्डल को लगभग २००० से ५००० की आबादी वाले क्षेत्र में नव सृजन की गतिविधियाँ चलाते रहने की जिम्मेदारी संभालनी होती है।

प्रारंभ में कोई भी पाँच नैष्ठिक साधक/साधिकाएँ मिल जुलकर प्रज्ञा मण्डल/महिला प्रज्ञा मण्डल/ युवा मण्डल बना सकते हैं।

प्रत्येक सदस्य को नीचे लिखे अनुसार नियम निबाहने होते हैं।

(१) भावभरी नियमित उपासना (२) आत्मोत्कर्ष हेतु नियमित स्वाध्याय (३) लोक मंगल के लिए पुरुषार्थ ।

उपासना:- विश्वास करें कि विश्व नियन्ता विनाश की संभावनाओं को निरस्त करके मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य रचने को तत्पर है।

भावभरी उपासना द्वारा हम उसके शक्तिप्रवाहों से जुड़ें और उसका लाभ पाएँ। दुर्बुद्धि से दुर्गति एवं सद्बुद्धि से सद्गति का नियम अकाट्य है।

इस लिए रोज नियम से सबेरे नहा धोकर कम से कम दस मिनट गायत्री महामंत्र का जप निष्ठा पूर्वक करें।

(विशेष जानकारी के लिए "सब के लिए सुलभ उपासना-साधना" पुस्तिका पढें।)

- <u>स्वाध्याय:-</u> ईश अनुग्रह से प्राप्त जीवन की विभिन्न क्षमताओं को सही दिशा में लगाने की दृष्टि स्वाध्याय से मिलती है।
- व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को अनगढ़ता से बचाकर सुगढ़ बनाने के लिए व्यावहारिक, विवेक सम्मत, प्रभावशाली सूत्र युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने लिख- छापकर सबके लिए सुलभ बनाए हैं। उनके कुछ अंश नित्य पढ़/सुनकर उन्हें जीवन में धारण करने का प्रयास करें।

लोक मंगल:- जीवन को सार्थक बनाने वाली इस साधना में स्वयं लगे रहकर अपने परिचितों, परिजनों को भी इस दुर्लभ लाभकारी प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास करें

इस हेतु अपने समय और साधनों का एक अंश-न्यूनतम एक घंटा और एक रुपया नित्य निकालें।

• साप्ताहिक संगोष्ठी:-

- प्रज्ञा मण्डल/महिला प्रज्ञा मण्डलों के लिए साप्ताहिक सत्संग-संगोष्ठी का क्रम चलाना अनिवार्य रखा गया है। इसके चार चरण हैं:-
- (१) सामूहिक उपासना
- (२) सामूहिक स्वाध्याय-सत्संग
  (३) प्रगति की समीक्षा एवं अगले चरणों का निर्धारण।
- (४) सेवाकार्य
  इन सभी का अपना-अपना असाधारण महत्त्व है। जो कि निम्नलिखित है:-

- सामूहिक उपासना से साधकों के मन एक होते हैं आत्मीयता बढ़ती है तथा संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर इच्छाओं-आकांक्षाओं में सामूहिक हित के भाव बढ़ने लगते हैं। देव परिवारों के विकास के लिए ऐसा होना अनिवार्य है। इससे श्रद्धा सजल एवं विकसित होती है।

- सामूहिक स्वाध्याय सत्संग से विचारों में एकरूपता आती है, मतभेद तथा संशय समाप्त होते हैं

- श्रेष्ठ पुरुषों के आदर्श विचारों को जीवन में धारण करना सहज संभव हो जाता है।
- नवसृजन की दिशा में एक जुट होकर पुरुषार्थ करने के लिए यह आवश्यक है।
- इससे प्रज्ञा प्रखर बनती है।

- प्रगति समीक्षा और नये निर्धारणों के माध्यम से अपने लिए आवश्यक परिष्कार तथा विकास का जीवन्त क्रम बना रहता है। विकास के क्रम में स्वाभाविक रूप से होने वाली चूकों तथा उभरने वाले दोषों का समय पर उपचार करते हुए अपनी बढ़ी हुई क्षमता तथा मिलने वाले दिव्य अनुदानों को सुनियोजित करने का सहज क्रम बन जाता है। इससे निष्ठा सुदृढ़ होती जाती है।

- मिशन द्वारा संचालित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों *(सप्त आंदोलन)* में तथा न्यूनतम एक अभियान से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना।

- इससे हमारी संवेदना का विकास होता है

कार्यविधि:-

प्रथम चरण :- सामूहिक उपासना के क्रम में पहले प्रेरणाप्रद भजन-कीर्तन करना चाहिए।

- इससे अंत:करण तनावमुक्त होता है, हीन भावना के निवारण और उमंग-उल्लास के संचार का सुयोग बनता है।
- सुविधानुसार ढपली, मँजीरे, करताल अदि का प्रयोग करते हुए कीर्तन के माध्यम से भक्तिरस में डूबने का प्रयास करना चाहिए।
- इसके बाद सामूहिक रूप से सस्वर गायत्री मंत्र बोलकर गुरु वंदना तथा सर्वदेव नमस्कार का क्रम चलाएँ।

- फिर मंच पर स्थापित ५ दीपक प्रज्वलित करके २४ बार सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण एक स्वर में एक साथ कर दीपयज्ञ सम्पन्न करें।
- भावना करें कि मंत्र के प्रभाव से, गुरु-ईश अनुग्रह से हम सबके मन एक हो रहे हैं।
- मंत्र पूरे होने पर १५ मिनट मौन मानसिक जप करें अथवा गुरुदेव की वाणी में 24/12 बार गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें
- भावना करें कि हम सबकी सद्भावना संयुक्त होकर मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य की संरचना में ऋषिसत्ता के प्रयासों के साथ जुड़ रही है।
- युगशक्ति का संचार हम सबके अंदर हो रहा है।
- भावना करें कि हम सब दिव्य अनुदान पाकर दिव्य संरक्षण में युग धर्म निर्वाह के लिए तैयार हो गए हैं।

द्वितीय चरण :- सामूहिक सत्संग के लिए विषय पहले से निर्धारित रहें।

- सत्संग में शामिल होने वालों के स्तर और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विषय चुने जायें।
- इसके लिए पूज्य गुरुदेव के साहित्य, मिशन की पत्रिकाओं के महत्त्वपूर्ण अंश चुने जा सकते हैं।
- पाक्षिक में परिजनों के लिए छापे जाने वाले मार्गदर्शक सूत्र सबके ध्यान में लाना भी जरूरी हैं।
- एक सप्ताह पहले ही निर्धारण हो जाने से लोग उस विषय को पढ़-समझ कर आते हैं और अधिक लाभ उठा पाते हैं।

- निर्धारित अंश पढ़कर सुनाने तथा सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा उसके व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करने का क्रम चलाना चाहिए।
- विभिन्न पक्षों से विचार सामने आने से हर व्यक्ति की मनन-चिंतन की क्षमता विकसित होती है।
- विचारों को पचाकर जीवन में संचरित करना संभव होता है।
- विचारों को समझने तथा व्यक्त करने की सामर्थ्य क्रमशः बढ़ती जाती है जिससे जीवन के परिष्कार एवं विकास का सहज क्रम चल पड़ता है।

तीसरा चरण :- सत्संग के बाद व्यक्तिगत एवं टोलीगत स्तर पर स्वीकार किए गए उत्तरदायित्वों की प्रगति समीक्षा की जानी चाहिए।

- जिनका समयदान और जन सम्पर्क का क्रम ठीक चल रहा है, उनकी सराहना करने तथा चूकने वालों को प्रोत्साहन- सहयोग देकर आगे बढ़ाने का क्रम बनाया जाये।
- साधना एवं सेवा कार्यों में जो कठिनाइयाँ आती हों उनके समाधान खोजे, सुझाए जाने चाहिए।

- घर-घर सम्पर्क करने एवं संस्कार आदि घरेलु कार्यक्रम सम्पन्न कराने के लिए समयदानी व्यक्तियों-टोलियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
- सामने आए कार्यों के अनुरूप नए चरण निर्धारित किए जाने चाहिए।
- केन्द्रीय निर्देशों-पत्रों के प्रकाश में अपने दायित्वों को स्पष्ट कर लेना चाहिए।

चतुर्थ चरण :- - मण्डल द्वारा नियमित रूप से सामयिक और स्थाई गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

चतुर्थ चरण में उनकी भी समीक्षा करें तथा आज के दिन हेतु निर्धारित कोई रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करें।

- घर जाते समय टोली बनाकर आसपास के घरों तक साहित्य पहुँचाते, कुशल क्षेम पूछते हुए प्रस्थान करें।
- *- अंत में अगले सप्ताह के लिए सूचनाएँ दी जाए, शांतिपाठ एवं प्रसाद वितरण के साथ समापन किया जाना चाहिए।*

ध्यान देने योग्य बातें:-

- संगोष्ठी के लिए निर्धारित स्थल पर व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए
- मण्डल के किन्हीं सदस्यों को निर्धारित समय से १५-२० मिनट पूर्व पहुँच कर वहाँ स्वच्छता, व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
- इसके लिए पहले से ही जिम्मेदारी स्वीकारी या सौंप दी जानी चाहिए।
- कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रारम्भ एवं समाप्त कर देने की सावधानी बरती जानी चाहिए।

- इससे मण्डल की तत्परता और प्रामाणिकता का स्तर बढ़ता है।
- शामिल होने वाले भी नि:संकोच होकर भाग लेने लगते हैं।
- साप्ताहिक संगोष्ठी के बाद नियमित सदस्यगण दो-दो, तीन-तीन की टोलियाँ बनाकर कम से कम ५ घरों में सम्पर्क करते प्रसाद देते हुए घर लौटें।
- इस सम्पर्क क्रम में नए घरों में सद्विचार पहुँचाने का प्रयास करें।

- पुराने सम्पर्क के जो लोग संगोष्ठी में न पहुँचे हों, उनके कुशल समाचार लेने और गोष्ठी का विवरण देने का कार्य भी इस सम्पर्क क्रम में किया जाना उचित है।
- कार्यक्रम के संचालन के लिए किन्ही अनुभवी उपयुक्त सदस्य- सदस्या को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए।
- आने वालों को सम्मानपूर्वक यथा स्थान क्रमबद्ध ढंग से बिठाने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिये सुयोग्य स्वयं सेवक नियुक्त रहने चाहिए।

- निर्धारित तीनों चरणों के सहित कार्यक्रम को डेढ़ से दो घण्टे में समाप्त कर लेना चाहिए।
- युवा मण्डल के सदस्य गण साप्ताहिक संगोष्ठी की समाप्ति के उपरांत प्रति सप्ताह कोई एक रचनात्मक आंदोलन का संचालन भी नियमित रूप से करते रहें।
- इस हेतु आधे से एक घंटे का समय निर्धारित करें।

मण्डलों के अन्य कार्य - मण्डलों के अन्य कार्यों को प्राय: चारों भागों में विभाजित किया गया है-

(१) **प्रचारात्मक -** घर-घर आस्तिकता का वातावरण बनाना,

संस्कार परम्परा की स्थापना करके परिवारों को पुन: नर रत्नों की खदान बनाने का प्रयास करना,

इसके लिए पर्याप्त संख्या में समयदानी-कर्मठ कार्यकर्ताओं को खोज निकालना तथा प्रशिक्षित करना।

उन्हें शांतिकुंज में चलने वाले अतिथि सत्र, साधना सत्र, युग शिल्पी सत्र, परिव्राजक प्रशिक्षण सत्र, रचनात्मक सत्र में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, भेजना चाहिए।

• (२) **सृजनात्मक -** इतना क्रम चल पड़े, तो फिर विविध रचनात्मक - सुधारात्मक (अशिक्षा निवारण, विद्याविस्तार, नशा निवारण, स्वास्थ्य संवर्द्धन, स्वच्छता संवर्द्धन,अंधविश्वास-कुरीतियों का निवारण, पर्यावरण-वृक्षारोपण, स्वावलम्बन, कुटीर- उद्योगों का विकास) आदि कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है। सप्त आंदोलन एवं पंच महाअभियान में इन्हे विभाजित किया गया है ।

(३) संगठनात्मक- मण्डल के सदस्य अपने मंडलों की गतिविधियाँ चलाते हुए उसे विकसित और पुष्ट बनाने का प्रयास करें।

निकटवर्ती क्षेत्रों में चलने वाले कई मण्डल मिलकर एक नव चेतना विस्तार केन्द्र (स-३) बनाने का प्रयास करें।

यदि पहले से ही कोई स-३ सक्रिय है, तो अपने मण्डल को उसके साथ जोड़ लें।

(विशेष जानकारी के लिए 'संगठन की रीति-नीति' पुस्तिका पढ़ें।)

- - अपने क्षेत्र के मंडल के सदस्यों का नियमित रूप से प्रशिक्षण आवश्यक करते रहें
- जिससे उनका कौशल और प्रतिभा विकसित होती रह सके और मिशन की विविध गतिविधियों की अद्यतन जानकारी रहे ।

कार्यालयीन व्यवस्था क्रमः-

मण्डल अपने संगठन की आधारभूत इकाई है। कई मण्डल मिलकर ही बड़ी संगठित इकाइयाँ बनाएँगे।

क्षेत्र में संगठन की स्थिति एवं शक्ति का आँकलन मण्डलों के द्वारा उपलब्ध जानकारियों, आँकड़ों के आधार पर ही होगा।

अस्तु, हर मण्डल के पास अपने मण्डल से सम्बद्ध प्रामाणिक एवं नवीनतम जानकारियों का लेखा-जोखा (रिकॉर्ड) होना चाहिए।

- **हर मण्डल अपने पास एक रजिस्टर एवं फाईल रखे, जिसमें अपने मण्डल संबंधी प्रामाणिक जानकारियाँ निम्नानुसार अंकित हों।**
- (क) मण्डल के कार्य क्षेत्र की कुल आबादी।
- (ख) मण्डल के कर्मठ सदस्यों की संख्या एवं सूची।
- (ग) देव परिवारों की संख्या एवं सूची।
- (घ) नियमित समयदानियों, अंशदानियों, ज्ञानघटों, धर्मघटों की सूची।

(च) विभिन्न पत्रिकाओं के ग्राहकों की संख्या एवं सूची।

(छ) दीक्षित व्यक्तियों एवं देवस्थापना करा चुके परिवारों की संख्या एवं सूची।

(ज) जिन घरों में संस्कार, जन्मदिन आदि मनाये जा चुके हैं या नियमित मनाये जाते हैं, उनकी संख्या एवं सूची।

(झ) ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची, जो समयदानियों, सदस्यों की नियमित सूची में भले न आते हों; किन्तु मिशन से प्रभावित हैं तथा उनके प्रभाव एवं संसाधनों का लाभ समय-समय पर मिशन को मिलता रहता है।

- कर्मठ सदस्यों का कर्तव्य है कि वे उक्त सभी प्रकार के व्यक्तियों से नियमित सम्पर्क रखें।
  - उन्हें अपने देव परिवार का सदस्य मानते हुए उनसे आत्मीयता एवं सहयोग के भाव विकसित करें।
  - उनके विकास और प्रगति के लिए सचेष्ट रहें।
  - उन्हें समर्थक, साधक, सहयोगी स्तर से क्रमशः विकसित करते हुए समयदानी एवं कर्मठ कार्यकर्त्ता स्तर तक ले जाने का प्रयास करें।
  - इसके लिए सम्पर्क की जिम्मेदारी परस्पर बाँट लें।
  - हर साप्ताहिक सत्संग के बाद अपने सम्पर्क अध्ययन के आधार पर अपने परिवार की समीक्षा करें।
  - हर माह अपनी सूचियों में आवश्यक संशोधन कर लिया करें।

अर्थानुशासन-

पूज्य गुरुदेव ने अपने अभियान की अर्थव्यवस्था साधकों, सहयोगियों के श्रद्धा भरे अंशदान से चलाने की रीति-नीति निर्धारित की है।

इसके लिए वे कहते रहे हैं कि हर साधक, सहयोगी देव प्रयोजन के लिए कम से कम आधी रोटी या आधे कप चाय जितना अंश दान, अन्न या नगद रूप में अवश्य करें।

सामर्थ्य और भावनानुसार अधिक अशंदान देने के लिए सब को छूट है।

पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि अपने संगठन की छवि समाज के सामने देवता, दाता की ही रहे, याचक की नहीं।

अपनी श्रद्धा से हम जो अंशदान निकालें, उसी को एकत्रित करके पूरी ईमानदारी और भरपूर कौशल के साथ उसे खर्च करें।

इस क्रम में भी भीतर से ईमानदार और बाहर से प्रमाणिक बने रहना आवश्यक है।

जो भीतर से ईमानदारी नहीं बरत पाते वे गुरुसत्ता द्वारा स्थापित मर्यादा तोड़ने के पात्र ही बनते हैं।

जो लोग ईमानदार होते हुए भी अर्थ व्यवस्था की प्रामाणिक पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, वे जनविश्वास खो देते हैं और अपयश के पात्र बनते हैं।

युवा मण्डल/ प्रज्ञा मंडल/महिला प्रज्ञा मंडल अपने क्षेत्र में साधकों, सहयोगियों को अंशदान एवं समयदान के लिए प्रेरित करें।

प्राप्त साधन, धन एवं समय का सुनियोजन ईमानदारी और सूझबूझ के साथ करने की पवित्र जिम्मेदारी निभायें।

अंशदान के नियोजन का क्रम इस तरह बनायें-

- देव परिवारों से ज्ञानघटों, धर्मघटों, अंशदानियों, यज्ञ-संस्कारों तथा अन्य प्रकार से जो धन एकत्रित होता है, उसका हिसाब साप्ताहिक सत्संग में सबके सामने रखा जाता रहे।
- वहीं उसके खर्च के मदों पर भी चर्चा की जा सकती है।

- यदि उसका कुछ अंश केन्द्र या किसी पीठ में सहायतार्थ देना है तो वह निर्णय भी आम सहमति से सम्बन्धित ट्रस्ट को विश्वास में लेकर ही किया जाये।
- जो परिजन मण्डल/स-३ का हिसाब अपने पास रखते हैं, वे भी अपने अंशानुदान को इसी तरह जमा करें।
- इससे नुक्ताचीनी करने वालों को शान्त किया जा सकेगा और विश्वस्तों को उत्साहित किया जा सकेगा।
- कुछ मण्डल अपने मण्डल के नाम से रसीदें छपवा लेते हैं, ऐसा करना विधि सम्मत नहीं है।

- ध्यान रहे कि जो संस्थान शांतिकुंज से मान्यता प्राप्त सरकारी रेवेन्यू (वित्तीय) अनुशासन में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) नहीं है, उनकी छपाई गयी रसीदें प्रशासन की दृष्टि में वैधानिक नहीं होतीं।
- इसलिए किसी मण्डल को शान्तिकुञ्ज के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही रसीदें नहीं छपा लेनी चाहिए।
- कोई भी मण्डल, स-३ अथवा संयुक्त समन्वय समिति अपने नाम से बैंक में खाता नहीं खोल सकते हैं।
- वैधानिक अर्थानुशासन का परिपालन हम सबके लिए आवश्यक है।

- अन्य मण्डलों एवं संयुक्त समन्वय समितियों की तरह ही युवा मण्डल भी किसी पंजीकृत ट्रस्ट ***(शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र)*** की रसीद बुक लेकर कार्य करेंगे
- तथा ज्ञान घट, धर्म घटों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था बनाते रहेंगे ।
- उनकी संपूर्ण कार्य प्रणाली प्रज्ञा/महिला मंडलों की तरह ही रहेगी ।
- अन्यों की तरह युवा वर्ग भी एक घंटा प्रतिदिन समयदान तथा न्यूनतम **₹1 प्रतिदिन** अंशदान एवं देव परिवार के चार नियमों (साधन, स्वाध्याय, संयम, और सेवा) का नियमित रूप से पालन करने हेतु संकल्पित होकर कार्य करेंगे।

पीठों से तालमेल:-

सभी मण्डल/स-३ की समन्वय समिति के सदस्यों को अपने हिसाब को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए समीपस्थ प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ के रजिस्टर्ड ट्रस्ट की रसीद बुकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

यदि किसी ट्रस्ट की रसीद बुकें प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है तो अपने जोन/उपजोन केन्द्र से शांतिकुंज की रसीद बुकें लेकर भी काम चलाया जा सकता है।

- **उसके लिए अनुशासन निम्नानुसार हैं:-**
- केन्द्र की ओर से पीठों के मूर्धन्य परिजनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी कानूनी समिति (ट्रस्ट) के अलावा क्षेत्र के कर्मठ एवं प्रामाणिक परिजनों को मिलाकर चार प्रकार की प्रबन्धन समितियाँ तथा एक कार्यकारिणी भी बना कर रखें।
- ये सब समीपवर्ती क्षेत्र (शहर या कस्बे) के संगठन आदि को अनुशासित ढंग से अपने साथ जोड़कर रखेगी।
- पीठ से रसीद लेने वाले मण्डल उन रसीदों के माध्यम से इकट्ठा किए गए स्वेच्छा सहयोग का हिसाब रखेंगे।
- हर माह या पीठ द्वारा निर्धारित अवधि में अपना हिसाब प्रामाणिक बाउचरों के साथ पीठ के लेखा विभाग के पास जमा करते रहेंगे।

- यदि उनके हिसाब में कोई कमी होगी, तो लेखा विभाग के सदस्य उन्हें इंगित करके ठीक कराएँगे।
- हिसाब के साथ बच्ची हुई शेष रकम में से कुछ राशि मण्डल या (नव चेतना विस्तार केन्द्र स-३) अपने पास रख सकते हैं;
- लेकिन उस राशि को औसत आवश्यकता से बचत की राशि मण्डल के नाम से ट्रस्ट की खाता-बहियों में जमा दिखाया जायगा।
- आवश्यकतानुसार उस राशि को मण्डल के हित में मिशनरी कार्यों हेतु वापस भी किया जा सकेगा।

- ट्रस्ट यदि उसका उपयोग अपनी पीठ के लिये अथवा मिशन सम्बन्धी अन्य कार्यों में करना चाहें तो सम्बन्धित मण्डल को विश्वास में लेकर करें।
- बचत की सहयोग राशि से पीठ या संयुक्त समन्वय समिति (संसस) कार्यालय के स्तर पर संगीत उपकरण, साउण्ड सिस्टम, छोटे आयोजन के लायक शामियाने, बैनर, प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
- इससे छोटे-छोटे आयोजनों की लागत घटेगी और सुविधा बढ़ेगी।
- इस प्रकार जहाँ अर्थ व्यवस्था की प्रामाणिक एवं पारदर्शी व्यवस्था बनेगी, वहाँ आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता रहेगा।

विशेष :-

(अ) गायत्री शक्तिपीठों/प्रज्ञा संस्थानों के संचालकगण अपने कार्यक्षेत्र के सभी मण्डलों को अपने संस्थान से जोड़कर रखें तथा उन्हें रसीदें उपलब्ध करायें, संकोच नहीं करें।

(ब) सभी मण्डल ट्रस्ट की पक्की छपी हुई रसीदों का उपयोग करें, इसमें कोताही, उदासीनता नहीं बरतें, क्योंकि यह कानूनी आवश्यकता है ।

अतिरिक्त जानकारी हेतु संपर्क करें - युवा प्रकोष्ठ, शान्तिकुंज, हरिद्वार

Whatsapp- 9258360962 Mob. No.- 9258360652

E-mail- youthcell@awgp.org